न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्याः 83/2017

दर्ज दिनांक : 05/07/2017

निर्णय दिनांक : 23/02/2018

नन्दकिशोर पटेल (शर्मा) पुत्र श्री छीतर जाति बारागांव ब्राहम्ण (चिन्दौला) निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

–– प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितः

श्री रमेश चन्द शर्मा एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 उप0।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

निर्णय दिनांकः 23/02/2018

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी की हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 1786 लगायत 1794 एवं खसरा नंबर 1854, 1855, 2109 लगायत 2113 एवं 2117, 2118, 2357, 2358, 3454, 3756 कुल किता 22 कुल रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम फागी उत्तर व आराजी खसरा नंबर 769 कुल किता 1 कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 है। उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्व में वादी के पिता छीतर पुत्र काना के नाम से राजस्व

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

रिकॉर्ड में दर्ज थी वादी के पिता की मृत्यु होने पर वादी के पिता का फौती नामान्तकरण संख्या 1768 दिनांक 11.03.1984 को खुल गया जिसमे वादी का नाम कालूराम पुत्र छीतर दर्ज कर दिया गया जबकि वादी के सरकारी अन्य दस्तावेज एवं स्कूल के कागजातों में वादी का नाम नन्दकिशोर पटेल (शर्मा) पुत्र श्री छीतर दर्ज हो रखा है। वादी के संपूर्ण कागजातो में राजस्व रिकॉर्ड के अलावा नन्दकिशोर पटेल (शर्मा) पुत्र श्री छीतर दर्ज हो रखा है जबकि वादी के पिता का फौती नामान्तकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से कालूराम पुत्र छीतर दर्ज कर दिया गया क्योंकि वादी को कालूराम के नाम उपनाम से भी जाना जाता है जो घर का नाम था जबकि स्कूल के कागज व अन्य सरकारी कागजो में नाम नन्दकिशोर पटेल (शर्मा) दर्ज है। वादी के पुत्र/पुत्रियो द्वारा उनके स्कूल के कागजो में पिता का नाम नन्दकिशोर पटेल (शर्मा) लिखवा दिया गया है और इसी नाम से वादी के पुत्र/पुत्रियो ने पूरे कागजात बनवा रखे है जिससे वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी के उक्त राजस्व रिकॉर्ड में व अन्य सरकारी कागजो में भिन्न–भिन्न नाम होने से नुकसान हो रहा है और वादी अलग अलग नाम की वजह से सरकारी लाभ अनुदान राशि व कृषि ऋण की सुविधाओं से वंचित रह रहा है जिससे कालूराम पुत्र छीतर को हजफ किया जाकर जिसके स्थान पर नन्दकिशोर पटेल (शर्मा) पुत्र श्री छीतर दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। दिनांक 29.05.2017 को वादी द्वारा राजस्व अभियान ग्राम पंचायत फागी में प्रतिवादी को आवेदन प्रस्तुत किया और उक्त राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त करने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी द्वारा प्रार्थी को इन्द्राज दुरूस्त करने से मना कर दिया जिससे वादी द्वारा उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद में वर्णित आराजी में वादी का नाम कालूराम पुत्र छीतर को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर नन्दकिशोर पटेल (शर्मा) पुत्र श्री छीतर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। दिनांक 19.01.2018 को प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 23.02.2018 को वकील वादी ने साक्ष्य में नंदकिशोर पुत्र छीतर, नारायण पुत्र बद्रीनारायण एवं कृष्णलाल पुत्र छीतर के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वादी का नाम विरासत से राजस्व रिकॉर्ड में कालूराम पुत्र छीतर दर्ज है एवं प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र में नंदकिशोर पुत्र छीतर अंकित है। वादी कालूराम पुत्र छीतर के बजाय नंदकिशोर पुत्र छीतर करवाना चाहता है।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति आधारकार्ड, फोटोप्रति मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत फागी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 28.06.2016, रिपोर्ट तहसीलदार फागी, शपथ पत्र नंदकिशोर पुत्र छीतर, नारायण पुत्र बद्रीनारायण एवं कृष्णलाल पुत्र छीतर इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम कालूराम दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे अपना नाम कालूराम के स्थान पर नंदकिशोर पटेल दर्ज करवाना चाहा है।

वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति आधारकार्ड, पहचान पत्र में वादी का नाम नंदकिशोर पटेल अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत फागी ने अपने द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 28.06.2016 में एवं नारायण पुत्र बद्रीनारायण व कृष्णलाल पुत्र छीतर ने अपने शपथ पत्र कालूराम व नंदकिशोर पटेल उक्त दोनो नाम वादी के होने का कथन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर व मनन करने एवं पत्रावली के समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मेरे द्वारा वादी वाद

स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज कालूराम पुत्र छीतर को हजफ कर इसके स्थान पर नंदकिशोर पटेल पुत्र छीतर दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1786 लगायत 1794, खसरा नंबर 1854, 1855, 2109 लगायत 2113 एवं 2117, 2118, 2357, 2358, 3454, 3756 कुल किता 22 कुल रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा ग्राम फागी उत्तर, तहसील फागी जिला जयपुर एवं खसरा नंबर 769 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज कालूराम पुत्र छीतर को हजफ कर इसके स्थान पर नंदकिशोर पटेल पुत्र छीतर दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

नंदकिशोर

बनाम

तहसीलदार फागी

::– वाद बाबत घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज ::–

मुकदमा नं0 – 83/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1786 लगायत 1794, खसरा नंबर 1854, 1855, 2109 लगायत 2113 एवं 2117, 2118, 2357, 2358, 3454, 3756 कुल किता 22 कुल रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा ग्राम फागी उत्तर, तहसील फागी जिला जयपुर एवं खसरा नंबर 769 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज कालूराम पुत्र छीतर को हजफ कर इसके स्थान पर नंदकिशोर पटेल पुत्र छीतर दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निज.....—.....मुबलिग.....—.....बाबत.....—.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....—.....फीसदी.....—.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....—.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/02/2018 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

मुहर

ओहदा फागी (जयपुर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	Nil	
फीस कमीश्नर	Nil		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)